न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2022-477Ju2022-300 Laduram Vs Ramchandra etc

लादूराम पुत्र श्री चौखाराम, जाति विश्नोई
निवासी- ग्राम चिकनीनाडी उर्फ चन्दनपुरा,
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. रामचन्द्रराम पुत्र चौखाराम, जाति विश्नोई
   निवासी- ग्राम चिकनीनाडी उर्फ चन्दनपुरा,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
2. फुसाराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई,
   निवासी- ग्राम भीकमकोर, तहसील लोहावट,
   जिला जोधपुर।
3. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा पीलवा,
   तहसील देचू, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लोहावट।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट दिनांक 21 अक्टूबर 2022 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 196/2022 रामचन्द्रराम बनाम लादूराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशन लाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री प्रेम कुमार विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 08 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 196/2022 रामचन्द्रराम बनाम लादूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 21 नवंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 335 रकबा 6.4669 हैक्टेयर ग्राम चिकनीनाडी उर्फ चन्दनपुरा तहसील लोहावट के संबंध में अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध पेश किया, जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को सुनकर दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को रेस्पो./प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। वादी के वाद पत्र से स्पष्ट है कि ½ हिस्सा वादी एवं ½ हिस्सा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या दो का है। वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार किसी पक्षकार के द्वारा बनाये गये नजरी नक्शे के आधार पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी ही नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय द्वारा सहखातेदारी की भूमि में एक सहखातेदार के विरूद्ध संपूर्ण रकबे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जो बहाल रखने काबिल नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा धारा 212 के प्रार्थना पत्र का जवाब भी पेश किया तथा आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र भी पेश किया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई सुनवाई नहीं की। कानूनन एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नं. 335 रकबा 6.4669 हैक्टेयर संपूर्ण रकबे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, जबकि वादी के स्वयं के वाद पत्र एवं जमाबंदी अनुसार उसका ½ हिस्सा निहित है। वादी की तरह ही अपीलार्थी भी रेकर्डेड सहखातेदार है तथा कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाइ निषेधाज्ञा अथवा स्थाई निषेधाज्ञा जारी ही नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 की मंशा के विपरीत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। अपीलार्थी रेकर्डेड सहखातेदार है तथा अपीलाधीन आदेश के कारण रेस्पोडेंट संख्या एक पुलिस के माध्यम से अपीलार्थी को अपने हिस्से की सिंचित भूमि में काश्त करने से रोका जा रहा है, जिससे एक काश्तकार को अपूरणीय क्षति हो रही है। इस कारण अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा धारा 212 के प्रार्थना पत्र का जवाब के साथ काउंटर प्रार्थना पत्र भी पेश किया था ,जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा गौर ही नहीं किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा 53 के वाद में एवं धारा 212 के प्रार्थना पत्र के संबंध में विचारणीय बिंदु यह है कि कानूनन एक सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि में कृषि कार्य कानूनन कर सकता है। विचारण न्यायालय के आदेश की आड़ में एक काश्तकार को अपनी भूमि में काश्त करने से रोक दिया गया है, इस कारण अपीलार्थी को भंयकर परेशानी हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा प्रत्यर्थी संख्या एक के अधिवक्ता को सुनकर राजस्व रेकर्ड से विपरीत जाकर हिस्से से अधिक जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, वह किसी भी सूरत में बहाल रखने योग्य नहीं है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को अपास्त फरमावें। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2014-15 (पूरक) आर.आर.टी. पेज 657, 2013(2) आर.आर.टी. पेज 1108, 2019(2) आर.आर.टी. पेज 777, 2010(2) आर.आर.टी. पेज 1392, 2006(1) आर.आर.टी. पेज 623 की न्यायिक नजीरे पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड सहखातेदार है। हस्तगत प्रकरण में मूल विवाद वादग्रस्त भूमि के किनारे से चलने वाली सड़क का है। अपीलांट अपने हिस्से से अधिक सड़क की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को सुनकर वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। अपीलांट कोई अनुतोष चाहता है तो वह विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या दो ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अपीलांट को वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक व दो वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 335 रकबा 6.4669 हैक्टेयर में क्रमश $^{773}/_{1598}$, ½ एवं $^{13}/_{799}$ हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ में प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी. अनुसार अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना पाया जाता है। चूंकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कानूनन हक एवं अधिकार निहित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा पक्ष में अप्रार्थी/अपीलांट एवं रेसपोडेंट संख्या एक के विरूद्ध विशेष भू-भाग में दखलंदाजी नही किये जाने हेतु पाबंद किया है जो कानूनन उचित नहीं है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में भी माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डलय ने उद्धरित किया है कि सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध है तथा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट का अंतिम निस्तारण होना शेष है। अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दो माह की अवधि में निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23 दिसंबर 2022 को उपस्थित रहे। तब तक उभय पक्ष अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर